यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत के माह 12/2012 से 10/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0एस0 राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनॉक 26.11.2018 से 29.11.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इकाई की स्थापना माह दिसम्बर 2012 में की गई थी, जिसके पश्चात इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है। लेखापरीक्षा में माह 12/2012 से 10/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र :**
इकाई द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी/माध्यमिक एवं प्रारम्भिक का नियंत्रण, जनपद में प्रत्येक स्तर के विद्यालयों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रभावी निरीक्षण, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिकों/शिक्षकों से सम्बन्धित वेतन और मान्यता सम्बन्धी कार्य, निर्माण सम्बन्धी कार्यों का अनुश्रवण, परिषदीय परीक्षाओं के समस्त कार्यों के संचालन, नियंत्रण सम्बन्धी समस्त कार्य किए जाते हैं। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद चम्पावत है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है :

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर–स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	–	–	337.43	337.25	92.10	92.05	–	0.18	–	0.05
2013–14	–	–	351.60	345.98	296.74	294.36	–	5.62	–	2.38
2014–15	–	–	343.96	341.51	433.68	431.93	–	2.45	–	1.75
2015–16	–	–	304.70	298.10	362.04	361.33	–	6.60	–	0.71
2016–17	–	–	384.53	360.43	197.18	194.91	–	2.41	–	2.27
2017–18	–	–	456.70	453.03	–	–	–	3.67	–	–
2018–19 (10/18)	–	–	402.90	246.36	–	–	वित्तीय वर्ष प्रगतिरत			

नोट :– अवशेष धनराशि वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है :

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	– शून्य –	–	–	–	–	–
2013–14		–	–	–	–	–
2014–15		–	–	–	–	–
2015–16		–	–	–	–	–
2016–17		–	–	–	–	–
2017–18		–	–	–	–	–
2018–19 (10/18)		–	–	–	–	–

(iii) इकाई को बजट आबंटन वेतन–भत्तों हेतु राज्य सरकार द्वारा तथा निर्माण कार्यों हेतु राज्य मद एवं जिला योजना के अन्तर्गत प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''स'' श्रेणी की है। इकाई का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

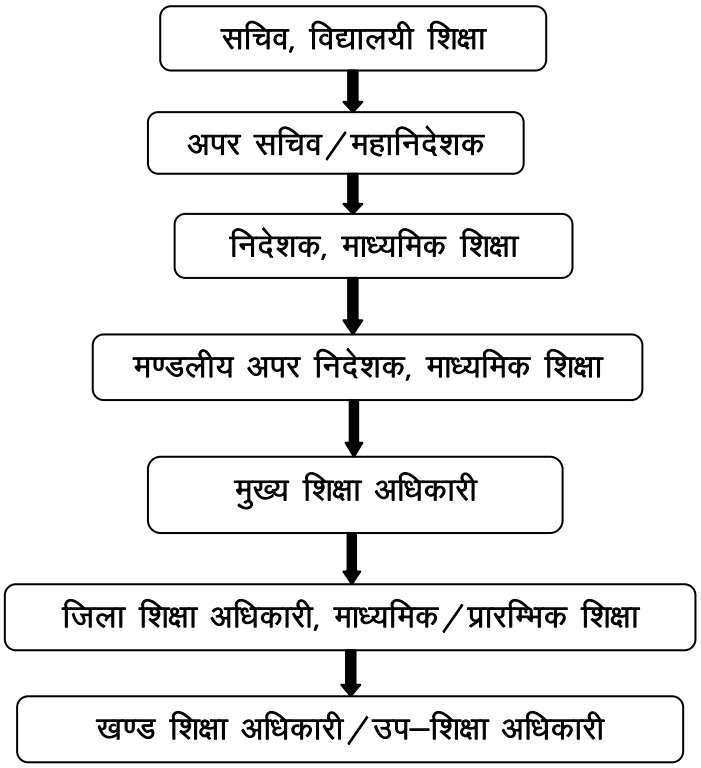

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह फरवरी 2015, नवम्बर 2015 एवं मार्च 2017 को विस्तृत जॉच हेतु चयन उसके अधिकतम व्यय एवं वित्तीय वर्ष के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 14 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1: समझौता ज्ञापन के प्रावधान के विपरीत रु0 78,141 की धनराशि की शासकीय हानि।

जिलाधिकारी द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा–कक्ष निर्माण, चाहर दीवारी, फील्ड विस्तार, मरम्मत विस्तारीकरण कार्यों हेतु वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक रु0 468.41 लाख (2015–16 : रु0 292.00 लाख एवं 2016–17 : रु0 176.41 लाख) स्वीकृत किए (10/2015 एवं 10/2016)। कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के स्वीकृत निर्माण कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, लोहाघाट (चम्पावत) को निर्माण एजेंसी नियुक्त कर समझौता ज्ञापन गठित किए गये। समझौता ज्ञापन के अनुसार

(i) निर्माण कार्यों को अधिकतम 06 माह की समयावधि में पूर्ण किया जाएगा तथा

(ii) निर्माण कार्यों को पूर्ण करने या प्रगति में विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेन्सी द्वारा 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती सम्बन्धित ठेकेदारों से की जाएगी, जिसे निर्माण एजेंसी द्वारा ग्राहक संस्था को वापस किया जाएगा।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत के सिविल निर्माण कार्यों सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2016–17 के अन्तर्गत स्वीकृत कुल 35 कार्यों जिनकी लागत रु0 468.41 लाख थी, में से निर्धारित समयावधि में 21 कार्य पूर्ण किए गये तथा 14 कार्य निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण नहीं किए गये। समझौता ज्ञापन के अनुसार निर्माण कार्यों को पूर्ण करने या प्रगति में विलम्ब की स्थिति में निर्माण एजेन्सी द्वारा 0.1 प्रतिशत प्रतिमाह (3 माह तक के विलम्ब की स्थिति में) अथवा उसके बाद 0.25 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती सम्बन्धित ठेकेदारों से कर ग्राहक संस्था को वापस किया जाना चाहिए था। परन्तु निर्माण एजेंसी द्वारा विलम्ब से पूर्ण किए कार्यों की कटौती की धनराशि रु0 78,141.00 कार्यालय को वापस नहीं की गई। निर्माण एजेंसी द्वारा प्रगति रिपोर्ट एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र से अवगत कराया गया कि अवमुक्त की गई समस्त धनराशि कार्यों पर व्यय की जा चुकी है। जो यह पुष्टि करता है कि निर्माण एजेंसी द्वारा समझौता ज्ञापन के अनुरुप कोई कटौती देयकों से नहीं की गई। कार्यालय द्वारा भी विलम्ब से कार्यों के किए जाने पर निर्माण एजेंसी से समझौता ज्ञापन के अनुसार धनराशि वापस किए जाने हेतु कोई पत्राचार नहीं किया गया, जो निर्माण कार्यों के प्रति कार्यालय की उदासीनता को प्रदर्शित करता है। वर्षवार विलम्ब से पूर्ण निर्माण कार्यों एवं उसके सापेक्ष कटौती की जाने वाली धनराशि का विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

कार्य का नाम	**स्वीकृत**राशि (लाख में)	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	वास्तविक तिथि से पूर्ण होने की तिथि	विलम्ब (11/2018)	कटौती की जाने वाली प्रतिमाह राशि (0.1% या 0.25%)
वर्ष 2015–16					
रा0उ0मा0 वि0, रमेला	20.00	8/2016	–	03 माह	6000.00
रा0इ0का0, विविल	10.00	8/2016	11/2016	03 माह	3000.00
रा0उ0मा0 वि0, सौराई	20.00	8/2016	11/2016	03 माह	6000.00
रा0उ0मा0 वि0, पल्सो	20.00	8/2016	12/2016	04 माह	11000.00
रा0इ0का0, दिगालीचौड	20.00	8/2016	12/2016	04 माह	11000.00
रा0इ0का0, रीठाखाल	30.00	8/2016	9/2016	01 माह	3000.00
रा0उ0मा0 वि0, खूनाबोरा	10.00	8/2016	5/2017	09 माह	16000.00
रा0इ0का0, पाली	20.00	8/2016	9/2016	01 माह	2000.00
रा0इ0का0, स्याला	20.00	8/2016	11/2016	03 माह	6000.00
वर्ष 2016–17					
रा0इ0का0, मूलाकोट	5.00	11/2016	12/2016	01 माह	500.00
रा0इ0का0, पाटी	5.00	11/2016	12/2016	01 माह	500.00
रा0इ0का0, गूठ गरसारी	20.00	6/2017	7/2017	01 माह	2000.00
रा0उ0मा0 वि0, रियासी	20.00	8/2017	12/2017	04 माह	7000.00
रा0इ0का0, बनवसा	41.41	9/2017	11/2017	02 माह	4141.00
योगः–					**78141.00**

ठस प्रकार, निर्माण एजेंसी द्वारा ठेकेदारों के देयकों से प्रावधान के अनुरुप कटौती न किए जाने के कारण रु0 78,141 की शासकीय हानि हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि निर्माण एजेन्सी द्वारा प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रेषित न किए जाने के कारण विलम्ब का पता नहीं चला। संज्ञान में आने पर निर्माण एजेन्सी से विलम्ब हेतु समझौता ज्ञापन के अनुसार धनराशि की मॉग की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्यालय को समझौता ज्ञापन के अनुरुप पूर्व से ही उचित कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

अतः समझौता ज्ञापन के प्रावधान के विपरीत रु0 78,141 की धनराशि की शासकीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1: रु0 12.55 करोड कोषागार से आहरित धनराशि की प्रविष्टि रोकड बही के प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष में न किए जाने के साथ–साथ रु0 1.85 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किया जाना।

प्राप्ति एवं संदाय नियमावली 1983 के नियम 13 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी फार्म जी0ए0आर0–3 में रोकड बही का रख–रखाव करेगा तथा समस्त वित्तीय लेन–देनों के घटित होने पर उसमें प्रविष्टि करेगा। माह के अन्त में रोकड बही के अवशेष का सत्यापन एवं इस आशय का प्रमाण–पत्र स्वहस्तालेख में अंकित करेगा। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 3/xxvii (6)/2013 दिनॉक 02 जनवरी 2013 के विन्दु संख्या 4.9 में ई–पेमेंट प्रणाली में दिए गये दिशा–निर्देशों के अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी इंटरनेट की सहायता से अपने देयकों की धनराशि सम्बन्धित के बैंक खाते में अन्तरण हो जाने के विवरण का प्रिंट प्राप्त करेंगे तथा भुगतान सम्बन्धित अभिलेखों यथा 11–सी पंजिका, रोकड बही, बिल रजिस्टर आदि में इनके प्राप्त होने की प्रविष्टि यथा स्थान पर करेंगे।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत की लेखापरीक्षित अवधि (12/2012 से 10/2018) की रोकड बही की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा अप्रैल 2016 से अक्टूबर 2018 तक की कोई रोकड बही तैयार नहीं की गई थी, जबकि उक्त अवधि में कार्यालय द्वारा कोषागार से रु0 12.55 करोड की धनराशि आहरित की गई। इसके अतिरिक्त सम्पूर्ण बिलों की प्रविष्टियॉ 11–सी पंजिका में नहीं की गई एवं न ही कोषागार वाउचर संख्या एवं तिथि अंकित की गई थी। लेखापरीक्षा में विस्तृत जॉच हेतु चयनित माह मार्च 2017 के रु0 1.85 लाख के व्यय वाउचर लेखापरीक्षा जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गये, जिनका विवरण निम्नवत् हैः–

Ø0 सं0	वाउचर सं0	तिथि	मद सं0	धनराशि
1.	B22020493	22.03.2017	11	82810.00
2.	B22020497	22.03.2017	11	44077.00
3.	B22020646	24.03.2017	11	9611.00
4.	B22020651	24.03.2017	11	6842.00
5.	B22020656	24.03.2017	11	9946.00
6.	B22020658	24.03.2017	11	13568.00
7.	B22020659	24.03.2017	11	18624.00
योग :–				**185478.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि भुगतान सीधे कोषागार से सम्बन्धितों के खातों में अन्तरित किए जाने के कारण रोकड बही तैयार नहीं की गई, फिर भी आगामी वित्तीय वर्ष से रोकड बही तैयार की जाएगी तथा अप्रस्तुत वाउचर आगामी लेखापरीक्षा में प्रस्तुत कर दिए जायेंगे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी को रोकड बही का रख–रखाव कर प्रत्येक लेन–देन की प्रविष्टि उसमें की जानी चाहिए थी।

अतः कोषागार से आहरित धनराशि रु0 12.55 करोड की प्रविष्टि रोकड बही के प्राप्ति एवं भुगतान पक्ष में न किए जाने के साथ–साथ रु0 1.85 लाख के व्यय वाउचर प्रस्तुत न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा थी।				

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

– शून्य –

भाग–V

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) रु0 1.85 लाख के व्यय वाउचर

2. सतत् अनियमितताएः

   (i) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	श्री अशोक कुमार सिंह	मुख्य शिक्षा अधिकारी	01.12.2012 से 13.05.2013
2.	श्री दिनेश चन्द्र गौड		14.05.2013 से 13.01.2014
3.	श्री रमेश चन्द्र आर्य		13.01.2014 से 05.08.2015
4.	श्री नवीन चन्द्र पाठक		05.08.2015 से 30.09.2016
5.	श्री डी0एस0 राजपूत		01.10.2016 से 20.05.2017
6.	श्री आर0सी0 पुरोहित		20.05.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, चम्पावत को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र